

कार्यालय— महानिदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन


क्रमांक 7083 / टी0आई0-4

दिनांक 25-04-2014

विषय: 25 कि0मी0 की दूरी से कम दूरी पर बसों का रात्री ठहराव न करने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 179-200/टी0आई0-4/दिनांक 11.01.2013 के संदर्भ में सभी महाप्रबन्धकों को डिपो/सब-डिपो से 25 कि0मी0 की दूरी से कम दूरी पर बसों का रात्री ठहराव न करने बारे निर्देश जारी किए गए थे। यह देखने में आया है कि महाप्रबन्धकों द्वारा इन आदेशों की ठीक प्रकार से पालना नहीं की जा रही है, जोकि गम्भीर मामला है।

अतः सभी महाप्रबन्धकों को पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि 25 कि0मी0 की दूरी से कम दूरी पर बसों का रात्री ठहराव न करवाएं। इस सम्बन्ध की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करवाएं।


25/4/14
कृते: अतिरिक्त परिवहन आयुक्त
राज्य परिवहन, हरियाणा, चण्डीगढ़।
25/4/2014